न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–59/2004 दायर दिनांक: 03.09.2004

RMS NO:- 2004/00006

पीठासीन अधिकारी :–श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

1. रामभरोसी विधवा पत्नी लादूराम जाति मीना निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवाँ हाल यनिवासी मुगलाना तहसील देवली जिला टोंक राज0।
2. बुद्धिप्रकाश आ0 लादुराम जाति मीना निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवाँ हाल यनिवासी मुगलाना तहसील देवली जिला टोंक राज0।
3. राजेन्द्र आ0 लादूराम जाति मीना निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवाँ हाल यनिवासी मुगलाना तहसील देवली जिला टोंक राज0।
4. लालाराम आ0 लादूराम जाति मीना निवासी पाण्डूला तहसील नैनवाँ हाल यनिवासी मुगलाना तहसील देवली जिला टोंक राज0।
5. सुगना पुत्री लादूराम जाति मीना निवासी पाण्डूला तहसील नैनवाँ हाल यनिवासी मुगलाना तहसील देवली जिला टोंक राज0 अल्पव्यस्क जर्ये वली माता रामभरोसी वादी सं. 01

–वादीगण –

बनाम

1. कैलाशचन्द गोदपुत्र रूघनाथ जाति मीना निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0।
2. श्रीमति सोसर विधवा पत्नी रूघनाथ जाति मीना निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0।
3. कजोड़ आ0 श्री सुल्तान जाति मीना निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0।
4. सीताराम आ0 सुल्तान जाति मीना निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0।
5. श्रीमति कस्तुरी विधवा पत्नी श्री जाति मीना निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0।

5/1. कजोड़ी बाई व्यस्क पुत्री सुल्तान जाति मीना निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी ससुराल का पता पत्नी चौथमल निवासी पाण्डूला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0।

5/2. राजी बाई व्यस्क पुत्री सुल्तान जाति मीना निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी ससुराल का पता पत्नी पप्पुलाल निवासी पाण्डूला तहसील नैनवाँ हाल निवासी नाथड़ी तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0।

6. रमेश आ0 श्री जगदीश जाति मीना निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0।
7. विमल आ0 जगदीश जाति मीना निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0। अल्पव्यस्क जर्ये वली माता श्रीमति रतनी प्रतिवादी सं. 09 ।
8. गजानन्द आ0 जगदीश जाति मीना निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0 अल्पव्यस्क जर्ये वली माता श्रीमति रतनी प्रतिवादी सं. 09।
9. श्रीमति रतनी विधवा पत्नी श्री जगदीश जाति मीना निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0।
10. श्रीमति सुगना पुत्री जगदीश जाति मीना निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी हाल पता पत्नी श्री गिरिराज ग्राम जुहारिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0।
11. सुशीला पुत्री जगदीश जाति मीणा निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी अल्पव्यस्क जर्ये वली माता श्रीमति रतनी प्रतिवादिया सं.09 ।
12. श्रीमति रामबेल पुत्री श्री जगदीश जाति मीना निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी हाल पता पत्नी कालू जाति मीना निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी अल्पव्यस्क जर्ये वली माता श्रीमति रतनी प्रतिवादिया सं. 09।
13. फून्दी बाई पुत्री श्री जगदीश जाति मीना निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी अल्पव्यस्क जर्ये वली माता श्रीमति रतनी प्रतिवादिया सं. 09।
14. हरिशंकर आ0 धन्ना जाति मीना निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0।
15. भूरा आ0 गेन्दया जाति मीना निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0।
16. गेपाल आ0 गेन्दया जाति मीना निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0 मृतक कायम मुकामानः–

16/1. दाखा बाई पुत्री श्री गोपाल पत्नी मगना जाति मीणा निवासी ग्राम जीवनपुरा ग्राम पंचायत गुढ़ासदावर्तिया तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

16/2. प्रेम बाई पुत्री श्री गोपाल पत्नी लादूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम रूघनाथपुरा ग्राम पंचायत दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

16/3. मनभर बाई पुत्री श्री गोपाल [illegible] रूघनाथपुरा ग्राम पंचायत दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:38:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नैनवां

COURT DECISION

Scanned with CamScanner

16/4. चौथमली बाई पुत्री श्री गोपाल पत्नी गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम [illegible] गुढासदावर्तिया तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

16/5. किशनलाल पुत्र श्री गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम पाण्डूला ग्राम पंचायत डोडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

17. बैंक ऑफ बडौदा शाखा बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी जर्ये प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

18. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवाँ जिला बून्दी राज0।

—प्रतिवादीगण—

वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 53, 92ए, व 188 आर.टी एक्ट

उपस्थिति:—
वादीगण की ओर से वकील श्री देवेन्द्र कुमार जैन।
प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री संजय कुमार।

निर्णय दिनांक 23.03.2022

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है यह कि ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 में जमाबंदी सम्वत् 2056 से 2059 के खाता संख्या 5 के अनुसार खसरा संख्या 83,84,85,86,87,88,89,90,91 कुल किता 9 कुल रकबा 36 बीघा 17 बिस्वा भूमि तथा खाता संख्या 6 के अनुसार खसरा संख्या 105,106,107,108,109 कुल किता 5 कुल रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है। यह कि उक्त भूमियों को गलत रूप से प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार में दर्ज कर दिया गया है। इन दोनों चरणों में वर्णित भूमि का कुल योग किता 14 कुल रकबा 52 बीघा 19 बिस्वा है। जिसमें प्रतिवादीगण 1 के गोद पिता तथा प्रतिवादिया संख्या 2 के स्वर्गीय पति रूघनाथ आ0 कालू का संयुक्त हिस्सा 1/3 था जिसको श्री रूघनाथ ने रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से दिनांक 15.06.1982 को 6000 रूपये के प्रतिफल स्वरूप लादूराम आ0 श्री मेदाराम जाति मीणा तत्कालीन निवासी पाण्डूला तहसील नैनवां को विकय कर कब्जा संभला दिया था। मौके पर कब्जा खरीददार लादूराम को विकेता रूघनाथ ने उन खेतों पर संभला दिया था, जिन खेतों पर आपसी सहमति से पारस्परिक समझौते से हुए बंटवारे के अधीन रूघनाथ जिन खेतों पर काबिज था। इस प्रकार रजि0 विकय पत्र के माध्यम से रूघनाथ द्वारा अपना हिस्सा लादूराम को विकय कर देने के बाद रूघनाथ के हिस्से का खातेदार उक्त केता लादूराम हो गया, जो खरीद दिनांक से काबिज रहकर खरीद की गई भूमि पर ताउम्र खेती करता रहा। श्री रूघनाथ की मृत्यु के बाद रूघनाथ का इंतकाल रजि0 विकय पत्र के आधार पर लादूराम के नाम खुलने के बजाय प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 के नाम उत्तराधिकारी के रूप में गलत खोल दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में दोनों चरणों की भूमि में प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 का नाम गलत अंकित है। उक्त भूमि के रजिस्टर्ड केता श्री लादूराम की मृत्यु 10.06.2003 को हो गई, जिसके एकमात्र उत्तराधिकारी वादिया संख्या 1 विधवा पत्नी वादी संख्या 2 लगायत 4 पुत्र तथा वादिया संख्या 5 पुत्री होने से है तथा खरीद की गई भूमि पर लादूराम के स्थान पर लगातार काबिज रहकर आज दिन तक सम्पूर्ण कृषि कार्य करते चले आ रहें है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि के हिस्से 1/3 पर वादीगण रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से काबिज है। यह कि वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 के नामों को हटवाकर वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि के संयुक्त हिस्सा 1/3 को वादीगण के खातेदारी अधिकार की घोषित करवाकर वादीगण के नाम खातेदारी में अंकित करवाये । तथा कृषि भूमि का विभाजन करवाकर अपने हिस्से की भूमि को वादीगण के नाम दर्ज करवाकर अलग से प्राप्त करें। यह कि वाद कारण दिनांक 15.06.2004 को प्रतिवादीगण 1 लगायत 16 के द्वारा वादीगण को ताकत के बल पर जबरन बेदखल करने की धमकी देने पर उदित हुआ तों वादीगण ने उसी दिन हल्का पटवारी से खाते की नकल निकलवायी । तब वर्तमान रिकार्ड में गलत इन्द्राज होने का पता चला । यह कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 के नामों को [illegible] खसरा संख्या 1 एवं 2 में वर्णित कृषि भूमि के संयुक्त हिस्सा 1/3 को वादीगण के खातेदारी अ[illegible] भूमि घोषित किया जाकर वादीगण के नाम खातेदारी में अंकित कि[illegible] भूमि का [illegible]जन किया जाकर वादीगण के संयुक्त हिस्सा 1/3 की भूमि को [illegible]। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में नकल विकय पत्र दि[illegible] नकल एवं शपथ पत्र आदि पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:38:05 IST
Reason: SelfAttested

अपने जवाब दावे में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4,6 [illegible] 14 लगायत 16 ने निवेदन किया कि तत्कालीन खातेदार रूघनाथ ने कभी भी रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से विवादग्रस्त कृषि भूमियों में से अपना हिस्सा 1/3 लादूराम नामक व्यक्ति को ना तों विकय किया था और ना ही कब्जा संभलाया था और ना ही विकय पत्र निष्पादित कर पंजीकृत करवाया था। यह कि लादूराम नामक व्यक्ति तथा कथित विकय पत्र के दिनांक से पूर्व ही ग्राम पाण्डूला को छोडकर ग्राम मुगलाना तहसील

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

...जिला टोंक का निवासी हो गया था। और तब से लेकर अब तक वह ना तो ग्राम पाण्डूला में ...या और ना ही विवादग्रत भूमि पर कब्जा काश्त किया। यदि वह ग्राम पाण्डूला में रहता तो वह ...समय विकय पत्र के आधार पर अपने पक्ष में नामान्तकरण खुलवाने की कार्यवाही करता। यह कि ...गण ने सम्पूर्ण वाद बिना किसी आधार के प्रतिवादीगण को नाजायज तंग व परेशान करने की ...रज से चलाया है जो खारिज करने योग्य है।

उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसन दिया जाकर निम्न प्रकार से तनकीवार वाद बिन्दु कायम किये गए–

1. आया वादी प्रतिवादीगण 1 व 2 के नामों को हटवाकर वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि के संयुक्त हिस्सा 1/3 को वादीगण के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि घोषित करवाकर वादीगण के नाम खातेदारी में अंकित करवाने की अधिकारी है। पूर्व वादग्रस्त कृषि भूमि का विभाजन करवाकर संयुक्त हिस्सा 1/3 की भूमि को वादीगण के नाम अलग से दर्ज किया जावे।

– जिम्मे वादिया।

2. आया तत्कालीन खातेदार रूघनाथ ने कभी भी रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से विवादग्रस्त कृषि भूमि में से अपना हिस्सा 1/3 लादूराम नामक व्यक्ति को ना तो विकय किया था और ना ही कब्जा संभलाया था। विकय पत्र के दिनांक से पूर्व ही ग्राम पाण्डूला को छोडकर ग्राम मुगलाना तहसील देवली जिला टोंक चला गया था।

जिम्मे–प्रतिवादीगण

3. आया वादीगण का कभी भी विवादित भूमि के किसी भी भाग पर कब्जा काश्त नही रहा है। वादीगण ने कभी भी इस भूमि पर काश्त नहीं की है। कब्जे काश्त के अभाव में वादीगण का घोषणा का दावा कानूनी तौर पर पोषणीय नहीं है।

जिम्मे– प्रतिवादीगण

तनकीवार बिन्दुओं पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। विकय पत्र दिनांक 21.06.2022 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर जाहिर होता है कि रूघनाथ आ0 कालू ने कुल भूमि रकबा 52 बीघा 19 बिस्वा में से उसके हिस्से 1/3 (17 बीघा 13 बिस्वा) में से केवल 12 बीघा 05 भूमि को ही बैचान किया था। अतः वादीगण को वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि के संयुक्त हिस्सा 1/3 पर खातेदारी दिया जाने के वाद बिन्दु वादीगण साबित नही कर पाने के कारण तनकी संख्या 1 खारिज किये जाने योग्य है। तनकी संख्या 2 एवं 3 कब्जे के सम्बन्ध में है जिस पर वादीगण वर्तमान में काबिज नही होना साबित होने के कारण वादीगण के पक्ष में खारिज किये जाने योग्य है।

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की वाद पत्र में बहस सुनी गयी। वादीगण मुताबिक याचना विकय की गई भूमि 12–05 बीघा भूमि से अधिक 1/3 हिस्सा लगभग 17–13 बीघा भूमि पर खातेदारी अधिकार चाहते है, जो न्यायसंगत नहीं है। वादीगण द्वारा तनकीयात के वाद बिन्दुओं को साबित नहीं कर पाने के कारण वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:38:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner